भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2893
जिसका उत्तर बुधवार, 05 अगस्त, 2026 को दिया जाएगा

खाद्य मुद्रास्फीति में अस्थिरता

2893. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा की गई निगरानी में खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गई थी, जो मार्च 2025 में तेजी से घटकर 2.69 प्रतिशत और मार्च 2026 में 3.87 प्रतिशत पर आ गई और मुद्रास्फीति की यह उच्च अस्थिरता कम आय वाले परिवारों पर भारी बोझ डालती है;
(ख) यदि हां, तो अप्रैल-दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत मूल्य स्थिरीकरण कोष, बफर स्टॉक जारी करना, आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध आदि सहित सक्रिय संस्थागत तंत्रों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक उपाय की मात्रा, प्रभाव और क्रियान्वयन समय क्या है;
(ग) उपभोक्ता मामले विभाग की मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के अंतर्गत वर्तमान मूल्य निगरानी प्रणाली क्या है और प्रतिदिन निगरानी की जाने वाली वस्तुओं की संख्या और कवर किए गए बाजार केंद्रों की संख्या कितनी है; और
(घ) क्या राज्य सरकारों के लिए समय पर उपाय करने हेतु वास्तविक समय मूल्य डेटा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ): कृषि खाद्य वस्तुओं की कीमतें अस्थिर रहती हैं क्योंकि वे मांग और आपूर्ति में असंतुलन, मौसमी बदलाव, आपूर्ति श्रृंखला की व्यवधान, जमाखोरी और कालाबाजारी द्वारा निर्मित कृत्रिम कमी, और अंतरराष्ट्रीय कीमतों आदि में वृद्धि जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं। कभी-कभी भारी बारिश के कारण आपूर्ति श्रृंखला में मामूली व्यवधान या फसल को नुकसान होने से कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षाओं के माध्यम से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखती है। समिति नियमित रूप से आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में परिदृश्य और संभावित रुझानों की समीक्षा करती है और घरेलू उत्पादन में वृद्धि और निर्यात-आयात नीतियों में युक्तिकरण के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है। आईएमसी की सिफारिश पर, सरकार ने घरेलू आपूर्ति की रक्षा के लिए अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान प्याज निर्यात नीति को तर्कसंगत बनाया, जिसके तहत 4 मई 2024 से 550 यूएसडी प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और 40% निर्यात शुल्क के साथ प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई। खरीफ 2024-25 में प्याज की बुवाई में सुधार और कीमतों में स्थिरता आने के बाद, सरकार ने एमईपी वापस ले ली और 13 सितंबर 2024 से निर्यात शुल्क घटाकर 20% कर दिया।

सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है ताकि कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से निपटा जा सके और उपभोक्ताओं को ये आवश्यक खाद्य वस्तुएं किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सकें। वर्तमान में, सरकार के पास 42.40 लाख टन दालों का स्टॉक है, जिसमें पीएसएफ बफ़र के तहत 14.79 लाख टन और मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत 27.61 लाख टन शामिल हैं। बाज़ार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बफ़र स्टॉक से दालें जारी की जाती हैं। बफर स्टॉक के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप से मार्केट प्लेयर्स को कीमतें कम करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है। दाल का बफर स्टॉक मार्केट प्लेयर्स द्वारा हेराफेरीपूर्ण जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी के खिलाफ भी एक निवारक के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, पीएसएफ बफ़र से कुल 4.04 लाख टन दालें खुले बाज़ार में बिक्री के माध्यम से जारी की गईं। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी कल्याणकारी स्कीमों के लिए मांग और उपलब्धता के अनुसार निरंतर दालों की आपूर्ति की गई। प्याज के संदर्भ में, 2025-26 के दौरान रबी-2025 की कुल 2.87 लाख टन फसल खरीदी गई। रबी और खरीफ प्याज की फसलों के बीच की अवधि में, जब संग्रहीत रबी प्याज खत्म होने के कारण कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, तब प्याज का बफर स्टॉक कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ देश भर के 579 मूल्य निगरानी केंद्रों से प्राप्त 41 खाद्य पदार्थों की दैनिक कीमतों पर नज़र रखता है। राज्य सरकार और आम जनता इस लिंक के माध्यम से वास्तविक समय में दैनिक कीमतें देख सकते हैं: https://fcainfoweb.nic.in/reports/report_menu_web.aspx।
